11.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट पीरवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामा. नं. 239 दिनांक 10.8.71 पर ग्राम पंचायत पीरवा के आदेश के विरुद्ध अपील की है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक से पूर्व अपीलान्ट को नहीं सुना गया। उक्त नामा तस्दीक करते समय मृतक पुत्र के वारिसान को छोड़ दिया। सरपंच ग्राम पंचायत पीरवा द्वारा उक्त नामान्तरण सं. 239 बिना किसी जांच के तथा बाला-बाला गुपचुप तस्दीक किया गया है। उक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण नामा. नं. 239 पर सरपंच ग्राम पंचायत पीरवा के आदेश दिनांक 10.8.1971 को अपास्त किया जाना है तथा नामा सं. 239 को तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रति प्रेषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पीरवा के नामा. सं. 239 पर सरपंच ग्राम पंचायत पीरवा का आदेश दिनांक 10.8.1971 को अपास्त किया जाता है तथा नामा. नं. 239 तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की जांच करें तथा वारिसान की पूर्णतया जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)